



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 598/अका./का.प./2021

रायपुर, दिनांक 07/12/2021

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की इकसठवीं बैठक शुक्रवार, दिनांक 03.12.2021 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

## प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव – सदस्य	9. डॉ. समीर ठाकुर – सदस्य
2. डॉ. (श्रीमती) प्रीति के. सुरेश – सदस्य	10. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का – सदस्य
3. डॉ. सी.डी. अगाशे – सदस्य	11. डॉ. एस.आर. गुप्ता – सदस्य
4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ – सदस्य	12. डॉ. एम.एल. नायक – सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल – सदस्य	13. श्री सोनऊ राम नेताम – सदस्य
6. डॉ. भजन सिंह छाबड़ा – सदस्य	14. डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव – सदस्य
7. डॉ. के.एन. शर्मा – सदस्य	15. श्री द्वारिकाधीश यादव – सदस्य
8. डॉ. ममता शर्मा – सदस्य	

## डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।  
निर्णय : संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

## वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान देने संबंधी निम्नांकित आदेश शासन द्वारा जारी किए गए हैं –

(i) छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 50/2018, पत्र क्र. 788/F-01002199/L-11-2/ब-4/चार दिनांक 05.09.2018

(ii) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र एफ 5-1/2021/38-2 दिनांक 06.10.2021

उक्त आदेशों के अनुक्रम में

दिनांक – 01.01.2016 से 31.03.2017 रु. 2,01,94,396 (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किरत)

दिनांक – 01.07.2018 से 31.08.2018 रु. 26,93,820 (दो माह का नगद भुगतान)

योग – रु. 2,28,88,216

एरियर्स राशि भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. श्री परदेशी राम भोई, कनिष्ठ अधीक्षक के सेवा में बहाली पश्चात् वेतन का नियमन किए जाने के फलस्वरूप वेतन की राशि रु. 55,60,790.00 (रुपए पचपन लाख साठ हजार सात सौ नब्बे मात्र) के भुगतान एवं नियमानुसार कटौती करने पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

5. स्व. श्री बंशी लाल टेकाम, प्रथम श्रेणी लिपिक, वित्त विभाग के आकस्मिक निधन होने के कारण सी.पी.एस. खाता से राशि रु. 7,29,250.00 (रुपए सात लाख उंतीस हजार दो सौ पचास मात्र) का अंतिम भुगतान किए जाने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय :स्वीकृति प्रदान की गई।

6. श्री नारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त भृत्य, नामांकन विभाग के सी.पी.एफ. खाता का अंतिम भुगतान राशि रु. 6,54,799.00 (रुपए छः लाख चौवन हजार सात सौ निन्यानवे मात्र) का अंतिम भुगतान किए जाने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय :स्वीकृति प्रदान की गई।

#### एन.सी.एन.आर. से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. एन.सी.एन.आर. में स्थापित एन.एम.आर. मशीन के लिए रु. 5,15,424=00 (रुपए पाँच लाख पंद्रह हजार चार सौ चौबीस मात्र) की हीलियम खरीदी मेसर्स, ब्रूकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई से किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

#### सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. डॉ. विशाल जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मसी संस्थान को पात्रता अनुसार (दिनांक 06.05.2021 से 12.09.2021 तक 130 दिन लघुकृत अवकाश (260 HPL) एवं दिनांक 13.09.2021 से 11.10.2021 तक 29 दिन अर्जित अवकाश) कुल 159 दिनों की अवकाश स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

#### यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति के लिए दो सदस्यों के नामांकन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: समिति में दो सदस्यों के नामांकन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

### पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.12.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

## सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु निम्नलिखित आदेशों को जारी दिनांक से विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।
- i. एफ 9-1/2008/1-3, रायपुर दिनांक 28.11.2011
  - ii. एफ 9-1/2008/1-3, रायपुर दिनांक 01.02.2013
  - iii. एफ 7-1/2012/1-3, रायपुर दिनांक 14.06.2013
  - iv. एफ 7-1/2012/1-3, रायपुर दिनांक 30.04.2016
  - v. एफ 7-1/2012/1-3, रायपुर दिनांक 22.03.2016
  - vi. एफ 7-1/2012/1-3, रायपुर दिनांक 29.08.2016
  - vii. एफ 7-1/2012/1-3, रायपुर दिनांक 13.10.2017
  - viii. एफ 9-4/2012/1-3, रायपुर दिनांक 31.01.2018
  - ix. एफ 7-1/2019/1-3, रायपुर दिनांक 23.02.2019
  - x. एफ 7-1/2019/1-3, रायपुर दिनांक 08.08.2019
  - xi. एफ 7-1/2012/1-3, रायपुर दिनांक 30.07.2020
  - xii. एफ 1-1/2017/1-3, रायपुर दिनांक 08.03.2021
  - xiii. एफ 7-1/2012/1-3, रायपुर दिनांक 10.06.2021

निर्णय: अंगीकृत करने का अनुमोदन किया गया।

## वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. वित्तीय वर्ष 2015-16 के विश्वविद्यालय अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा आक्षेपित कुल 41 कंडिकाओं का निराकरण कर तैयार किए गए प्रतिवेदन के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, उपसंचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, रायपुर को आक्षेपित कंडिकाओं को विलोपित किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

## संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 26.11.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

## यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. विश्वविद्यालय के कुलपति निवास के पीछे वाहन शेड निर्माण हेतु प्राक्कलन राशि रु. 12,20,783/- (रुपए बारह लाख बीस हजार सात सौ तिरासी मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

01. महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, समता कॉलोनी, रायपुर में संचालित B.Voc. (Interior Design) के प्रथम वर्ष में प्रवेश से वंचित छात्र-छात्राओं को शिक्षा सत्र 2021-22 से प्रवेश की अनुमति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय: विशेष परिस्थिति के रूप में छात्रहित में प्रवेश की विशेष अनुमति प्रदान की गई।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

02. विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में रुसा योजना के तहत रेनोवेशन कार्य हेतु प्राक्कलन राशि रु. 71,98,412/- (रुपए इकहत्तर लाख अठानबे हजार चार सौ बारह मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। कुल राशि में से रु. 42.66 लाख रुसा मद से तथा शेष अतिरिक्त राशि रु. 29,32,412/- (रुपए उन्तीस लाख बत्तीस हजार चार सौ बारह मात्र) का व्यय विश्वविद्यालय मद से किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

### यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-


03. विश्वविद्यालय में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड इकजामिनेशन भवन (1000 छात्र क्षमता) निर्माण हेतु अनुबंधित वास्तुविद् से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु. 8,65,00,000/- (रुपए आठ करोड़ पैंसठ लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।


निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यपालन अभियंता के समकक्ष पद के यंत्री की प्रतिनियुक्ति राज्य शासन से प्रतीक्षित है अतः शीघ्र निर्माण की आवश्यकता की दृष्टि से इस कार्य को लोक निर्माण विभाग से करवाया जा सकता है।

04. विश्वविद्यालय में प्रस्तावित गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु अनुबंधित वास्तुविद् फर्म, श्रीवास्तव बागरेचा एंड एसोसिएट्स, रायपुर द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग डिजाइन एवं विस्तृत प्राक्कलन राशि रु. 3,74,11,000/- (रुपए तीन करोड़ चौहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यपालन अभियंता के समकक्ष पद के यंत्री की प्रतिनियुक्ति राज्य शासन से प्रतीक्षित है अतः शीघ्र निर्माण की आवश्यकता की दृष्टि से इस कार्य को लोक निर्माण विभाग से करवाया जा सकता है।


अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)